क्रम-सं०-316 (क-1)

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-डब्लू०/एन०पी०-91/2011-13
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, 11 दिसम्बर, 2013

अग्रहायण 20, 1935 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग—10

संख्या 3038/छः-पु०-10—2013-27(65)-2012

लखनऊ, 11 दिसम्बर, 2013

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा०प०नि०—73

पुलिस अधिनियम 1861 (अधिनियम संख्या 5, सन 1861) की धारा 2 और धारा 46 की उपधारा (3) के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली, 2008 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा (सातवां संशोधन) नियमावली, 2013

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा (सातवां संशोधन) नियमावली, 2013 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम-5 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली, 2008, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये उप नियम (1) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1 विद्यमान उप नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम
(1) <u>उप निरीक्षक</u> (1) पचास प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती द्वारा बोर्ड के माध्यम से भरा जाएगा।	(1) <u>उप निरीक्षक</u> (एक) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा बोर्ड के माध्यम से।

स्तम्भ-1 विद्यमान उप नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम
सेवाकाल में दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों की भर्ती भी उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की नियमावली, 1974 के अनुसार की जाएगी। नियुक्ति प्राधिकारी इस नियमावली के अधीन भर्ती करेगा।	(दो) पचास प्रतिशत पद, मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य आरक्षी उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
(2) निम्नलिखित पात्रता शर्तो को पूर्ण करने वाले उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस/सशस्त्र पुलिस/माउंटेड पुलिस/पीएसी के मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य आरक्षी और आरक्षियों में से विभागीय परीक्षा के आधार पर बोर्ड के माध्यम से पचास प्रतिशत पदोन्नति द्वारा :- (क) भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन इस रूप में तीन वर्ष की सेवा परिवीक्षा अवधि को छोड़कर पूर्ण कर ली हो, (ख) भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन 40 वर्ष से अधिक की आयु न हुयी हो।	(तीन) निःसंवर्गीय पदों पर पदोन्नत उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस) भी, जो खण्ड (दो) में उल्लिखित अपेक्षा पूर्ण करते हैं, उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु अर्ह होंगे।

नियम 10 का संशोधन

4-उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-10 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
10. जिस कलेण्डर वर्ष में सीधी भर्ती की रिक्तियां प्रकाशित की जांय, उसकी जुलाई के प्रथम दिन अभ्यर्थी ने 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण न की हो ; परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थी की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतनी होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाए।	10. जिस कैलेण्डर वर्ष में सीधी भर्ती की रिक्तियां प्रकाशित की जाएं, उसकी जुलाई के प्रथम दिन अभ्यर्थी ने 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण न की हो : परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थी की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतनी होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाए : परन्तु यह और कि ऐसे अभ्यर्थियों, जिन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या-पीआरपीबी-एक-1/2011, दिनांक 19 मई, 2011 के अनुसरण में उपनिरीक्षक, नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती के लिए आवेदन किया हो, परन्तु उक्त पद पर भर्ती नहीं की जा सकी थी, को अधिकतम आयु सीमा में शिथिलता प्रदान की जायेगी ताकि वे उक्त पद पर आगामी भर्ती में सम्मिलित होने के लिए पात्र हो सकें।

नियम 16 का संशोधन

उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 16 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
16- उप निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति द्वारा भर्ती की प्रकिया- विभागीय परीक्षा के आधार पर उप निरीक्षक पद पर प्रोन्नति द्वारा भर्ती के प्रयोजनार्थ बोर्ड निम्नलिखित रीति से एक लिखित परीक्षा आयोजित करेगा।	16- <u>ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति</u> उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर, शारीरिक दक्षता परीक्षा, जो अर्हकारी प्रकृति की होगी, के साथ बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा चयन समिति की संस्तुति के आधार पर भरे जायेंगे।
(क) <u>लिखित परीक्षा</u>	(क) चयन समिति -
(एक) पास व्यक्तियों से एक लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी जिसके लिए 300 अंक होंगे। लिखित परीक्षा में सम्मिलित विषयों का विवरण तथा प्रत्येक विषय के लिए आवंटित अंक निम्नवत हैं :-	(एक) का गठन तत्समय प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।
<u>विषय</u> — <u>अधिकतम अंक</u> 1. हिन्दी निबन्ध (कानून व्यवस्था वाद अध्ययन तथा पुलिस कार्य प्रणाली पर आधारित) — 100 अंक 2. मूल विधि, संविधान एवं पुलिस प्रकिया (भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रकिया संहिता, साक्ष्य अध्ययन तथा पुलिस मैनुअल आदि) — 100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार) 3. संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा — 50 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार) 4. मानसिक अभिरूचि — 50 अंक बुद्वि लब्धि/तार्किक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार)	(दो) की अध्यक्षता बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट पुलिस महानिरीक्षक द्वारा की जायेगी,
टिप्पणी-1 प्रश्न पत्रों को उपनिरीक्षक के पद के कार्य प्रोफाइल को ध्यान में रखकर कार्य के उत्तर दायित्व के अनुरूप तैयार किया जायेगा।	(तीन) में पुलिस उप महानिरीक्षक (स्थापना) समिति के पदेन सदस्य के रूप में होगें, जो तत्समय प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों की निर्विवादित ज्येष्ठता सूची और सेवा अभिलेख भी चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
टिप्पणी-2 जो अभ्यर्थी प्रत्येक विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहेंगे, पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे।	(चार) में पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश का एक नाम निर्देशिती होगा, जो पुलिस अधीक्षक के स्तर से निम्न पंक्ति का नहीं होगा।
(दो) चयन समिति नियम-6 में निर्दिष्ट आरक्षण के प्राविधानों को ध्यान में रखते हुए सफल अभ्यर्थियों की उनके द्वारा खण्ड (क) के उपखण्ड (एक) के अधीन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर एक सूची तैयार करेगी।	(पॉच) में पुलिस सेवा के राजपत्रित स्तर के दो अन्य सदस्य होंगे जो बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे।
	टिप्पणी: बोर्ड के अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि चयन समिति में अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों से संबंधित प्रत्येक का कम से कम एक प्रतिनिधि समाविष्ट हो।
	(ख) <u>शारीरिक दक्षता परीक्षा</u>
	पात्र अभ्यर्थियों से अर्हकारी प्रकृति की एक शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। पुरूष अभ्यर्थियों से 35 मिनट में 3.2 किलोमीटर की दौड़ और महिला अभ्यर्थियों से 25 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने की अपेक्षा की जायेगी। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति हेतु केवल उन्हीं अभ्यर्थियों पर विचार किया जाएगा जो शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होंगे।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(ख) शारीरिक दक्षता परीक्षा खण्ड (क) के अधीन चयनित अभ्यर्थियों से अर्हकारी प्रकृति की एक शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। पुरूष अभ्यर्थियों से 35 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ और महिला अभ्यर्थियों से 20 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने की अपेक्षा की जायेगी।	(ग) चयन समिति, चयनित अभ्यर्थियों की सूची अपनी संस्तुति सहित पुलिस महानिदेशक को प्रस्तुत करेगी। सूची अधिसूचित रिक्तियों से अधिक की नहीं होगी। (घ) पुलिस महानिदेशक द्वारा सूची के अनुमोदन के उपरान्त, पुलिस उप महानिरीक्षक (स्थापना), उप निरीक्षक के पदों पर पदोन्नति के लिए अंतिम आदेश निर्गत करेंगे। पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा यथा अनुमोदित पदोन्नति हेतु चयनित अभ्यर्थियों की अन्तिम सूची बोर्ड और उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।
(ग) सेवा अभिलेख खण्ड (क) के उप खण्ड (दो) के अधीन चयनित प्रत्येक अभ्यर्थी को सेवा अभिलेखों के आधार पर अंक प्रदान किये जायेंगे। सेवा की कालावधि के लिये अधिकतम 20 अंक होंगे (प्रत्येक वर्ष के लिए अधिकतम 01 अंक), स्नातक एवं ऊपर की उपाधि की शैक्षिक अर्हता 10 अंक, प्रशिक्षण पाठयक्रम के लिए 30 अंक जिसमें से 20 अंकों के अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए प्रत्येक मौलिक प्रशिक्षण के लिए 10 अंक तथा 10 अंको के अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए प्रत्येक गैर मौलिक प्रशिक्षण के लिए 02 अंक और वार्षिक प्रविष्टि के लिए 30 अंक होंगे। अधिकतम 10 अंकों के अध्यधीन राष्ट्रीय स्तर के प्रत्येक पदक के लिए 03 अंक, राज्य स्तर के प्रत्येक पदक के लिए 02 अंक प्रदान किये जायेगें तथा नगद पुरस्कार के लिए कोई अंक प्रदान नहीं किये जायेंगे। इस प्रकार उपर्युक्त अधिकतम 100 अंक होंगे। पुलिस संगठन का प्रशिक्षण निदेशालय, इस शर्त पर के अधीन रहते हुए कि कोई प्रशिक्षण जिसकी अवधि एक माह से कम होगी मौलिक प्रशिक्षण के रूप में अधिसूचित नहीं किया जायेगा, किसी भी प्रशिक्षण को मौलिक और गैर मौलिक प्रशिक्षण के रूप में अधिसूचित करने के लिए प्राधिकृत है। प्रत्येक वृहद दण्ड के लिए 03 अंक, प्रत्येक लघु दण्ड के लिए 02 अंक और प्रत्येक प्रतिकूल प्रविष्टि और सूक्ष्म दण्ड के लिए 01 अंक काट लिया जायेगा। सेवा अभिलेखों का परीक्षण इस दृष्टिकोण से भी किया जायेगा कि क्या अभ्यर्थी	

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
को कोई ऐसा भी दण्ड दिया गया है, जो उसे पदोन्नति के लिए अनुपयुक्त ठहराता हो कोई अभ्यर्थी जिसकी सत्यनिष्ठा गत पॉच वर्षों में एक बार भी रोकी गयी हो पदोन्नति के लिए पात्र न होगा।	
(घ) <u>खण्ड (क) के अधीन प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों की सूची :-</u> खण्ड (क) के उप खण्ड (दो) के अधीन प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों को उनके द्वारा खण्ड (ग) के अधीन प्राप्त किये गये अंकों में जोड़ दिये जायेंगे। इस प्रकार प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर चयन समिति अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी।	
<u>(ङ) समूह परिसंवाद</u> नियम-17 (क) के अधीन चयनित अभ्यर्थियों से समूह परिसंवाद में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी जिसके लिए दस अभ्यर्थियों का पृथक समूह बनाया जायेगा। समूह परिसंवाद की प्रक्रिया बोर्ड के अध्यक्ष या पुलिस महानिदेशक (उत्तर प्रदेश) द्वारा नामित एक अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा एक पैनल के परिवेक्षण सम्पादित की जायेगी, जिसमें प्रबन्धन विशेषज्ञ, मनोविश्लेषक एवं अपराध-विज्ञानी सम्मिलित होंगे। उक्त समूह परिसंवाद में किसी पुलिस वाद विश्लेषण से संबंधित कुछ समस्याएं परिचर्चा के लिए प्रस्तुत की जाएंगी और सम्पूर्ण समूह परिसंवाद नियत समय सीमा के भीतर पूर्ण किया जाएगा। समूह परिसंवाद के लिए 20 अंक होंगे और इसके अन्तर्गत अभ्यर्थियों के प्रबंधन कौशल (5 अंक) प्रस्तुतिकरण (5 अंक) अभिरुचि (5 अंक) और व्यक्तित्व (5 अंक) का मूल्यांकन भी सम्मिलित होगा। ये अंक बोर्ड की वेबसाइट में भी लोड किये जायेंगे। टिप्पणी-1 समूह पहरवार की सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जायेगी और उसकी एक काम्पैक्ट डिस्क तैयार की जायेगी।	

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
टिप्पणी-2 चयन समिति में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए अधिकारियों का नाम निर्देशन समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम की धारा-7 के अनुसार किया जायेगा।	
(च) चयन और योग्यता सूची :- बोर्ड नियम-6 में निर्दिष्ट आरक्षण के प्राविधानों को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों की उनके श्रेष्ठताक्रम में जैसा कि उप नियम (6) और उप नियम (5) के अधीन उनके द्वारा प्राप्त अंकों के योग से प्रकट हो, एक अन्तिम चयन सूची तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर अंक प्राप्त करें तो उप नियम (5) के अधीन उच्चतर अंक पाने वाले अभ्यर्थी को सूची में ऊपर रखा जायेगा। चयन समिति द्वारा सूची बोर्ड को अग्रसारित की जायेगी जो उसे विभागाध्यक्ष को अग्रसारित करेगा।	

नियम 17 का संशोधन

उक्त नियमावली में, नियम-17 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान खण्ड (ग) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात :-

स्तम्भ-1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(ग) पुलिस महानिदेशक द्वारा सूची के अनुमोदन के उपरान्त, पुलिस महानिरीक्षक (स्थापना), निरीक्षक के पदों पर पदोन्नति के लिये अंतिम आदेश निर्गत करेंगें।	(ग) पुलिस महानिदेशक द्वारा सूची के अनुमोदन के उपरान्त, पुलिस उप महानिरीक्षक (स्थापना), निरीक्षक के पदों पर पदोन्नति के लिये अंतिम आदेश निर्गत करेंगें।

आज्ञा से,
अनिल कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव।